अति—आवश्यक

राजस्थान सरकार
निदेशालय, समेकित बाल विकास सेवाएं,
2, जलपथ, गांधी नगर, जयपुर

कमांक–एफ.3(78)पो/SAG/ICDS/2018/176984- जयपुर, दिनांक 3/10/18
177320

उपनिदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त

बाल विकास परियोजना अधिकारी,
समेकित बाल विकास सेवाएं,
समस्त

विषयः–किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) की प्रगति रिपोर्ट के संबंध में।

संदर्भः– भारत सरकार के पत्रांक दिनांक 08.06.2018

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत सरकार से प्राप्त संदर्भित पत्र द्वारा राज्य के समस्त जिलो में 1 जून, 2018 से संचालित **किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG)** के अन्तर्गत 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं के सर्वांगीण विकास हेतु पोषणीय एवं गैर–पोषणीय सेवाएं प्रदान की जा रही है। पोषणीय गतिविधियों के अन्तर्गत बेस लाईन सर्वे से चिन्हित किशोरी बालिकाओं को 155 ग्राम बेबीमिक्स प्रति दिन प्रति लाभार्थी 300 दिवस पूरक पोषाहार से लाभान्वित किया जाना है। जिसके लिए बेबी मिक्स (RTE) की दर 60.00 रूपये प्रतिकिलोग्राम निर्धारित की गई है। ताकि किशोरी बालिकाओं प्रतिदिन प्रतिलाभार्थी 600 किलोकैलोरी ऊर्जा एवं 18–20 ग्राम प्रोटीन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सकें।

विभागीय पत्रो द्वारा 11–14 वर्ष की स्कूल नही जाने वाली बालिकाओं की मासिक प्रगति रिपोर्ट लॉगिन एवं पासवर्ड आर.आर.एस.–आईसीडीएस का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के पोर्टल http://sag-rrs.nic.in. पर फिड करते हुए निर्धारित प्रारूप में आवश्यक रूप से प्रेषित किए जाने हेतु पूर्व में निर्देशित किया जा चुका है। परन्तु खेद का विषय है कि योजना लागू होने के 3 माह पश्चात भी सम्पूर्ण राज्य में बेस लाईन सर्वे में चिन्हित 1.70 लाख किशोरी बाालिकाओ में से मात्र 3897 बालिकाओ की सूचना पोर्टल पर दर्ज की गई है। जिससे मासिक प्रगति रिपोर्ट की सूचनाएं प्राप्त नही हो पा रही है। भारत सरकार द्वारा योजना की नियमित समीक्षा करते हुए अब तक की प्रगति पर असंतोष व्यक्त किया गया है।

अतः पुनः निर्देशित किया जाता है कि किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) के तहत बेस लाइन सर्वे को अद्यतन करते हुए मासिक प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से support-sagrrs@gov.in. पर दर्ज करवाना सुनिश्चित करे।

(सुषमा अरोडा)
निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाएं
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक–एफ.3(   )पो/SAG/ICDS/2018/17732 – 333 जयपुर, दिनांक 3/10/18
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. समस्त अधिकारीगण मुख्यालय।
4. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा, मुख्यालय को विभागीय वैबसाईट पर अपलोड हेतु।

(जिज्ञासा गौड)
अतिरिक्त निदेशक (पोषाहार)